



बैंक ऑफ़ इंडिया
Bank of India

रिश्तों की जमापूँजी
Relationship beyond banking

असाधारण सामान्य बैठक
गुरुवार 17 मार्च, 2011
अपराह्न 3.30 बजे

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
THURSDAY 17TH MARCH, 2011
3.30 P.M.

प्रधान कार्यालय :
स्टार हाउस, सी-5,
'जी' ब्लॉक,
बान्द्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स,
बान्द्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051

HEAD OFFICE :
STAR HOUSE, C-5,
"G" BLOCK,
BANDRA-KURLA COMPLEX,
BANDRA (E), MUMBAI - 400 051

विषय सूची / CONTENTS

क्रम संख्या SR. NO.	विषय SUBJECT	पृष्ठ संख्या PAGE NO.
1.	सूचना NOTICE	1 5
2.	टिप्पणियां NOTES	2 6
3.	विवरणात्मक जानकारी EXPLANATORY STATEMENT	3 7
4.	परोक्षी फार्म PROXY FORM	
5.	उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश-पत्र ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS	



सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि बैंक ऑफ़ इंडिया के सदस्यों की असाधारण सामान्य बैठक गुरुवार दिनांक 17 मार्च 2011 को अपराह्न 3.30 बजे बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडिटोरियम, स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई -400 051 में निम्नलिखित विशेष कारोबार हेतु की जाएगी:

विचारार्थ तथा यदि समुचित पाया गया तो, एक विशेष प्रस्ताव के रूप में, आशोधन सहित या बिना आशोधन के, निम्नलिखित प्रस्ताव को पारित करने हेतु:

“बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 3 (2बी) के प्रावधान के अनुसरण में संकल्प लिया जाता है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन तथा विविध-प्रावधान) योजना, 1970 की धारा 20 व सूचीकरण करार के खंड 23 जोकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तथा भारतीय नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के साथ समझौता हुआ है (उसके किसी संशोधन अथवा उसके पुनर्अधिनियम सहित) तथा बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर तथा बैठकें) के अधिनियम 2007 के अधिनियम 4ए के प्रावधानों सहित तथा भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति तथा विनियम बोर्ड अथवा किसी अन्य संबंधित प्राधिकारी द्वारा विनिर्धारित यदि कोई दिशानिर्देश हो चाहे वह भारत में हो या विदेश में, समय-समय पर लागू सीमा तथा अनुमोदन, सम्मति, अनुमति तथा स्वीकृति जो भी आवश्यक हो उसके अध्यक्षीन है तथा इस प्रकार के अनुमोदन तथा स्वीकृति देते समय इस प्रकार की शर्तों के अध्यक्षीन है जो बैंक ऑफ़ इंडिया के निदेशक मंडल (बैंक) (इसके बाद “बोर्ड” के रूप में संदर्भित किया जाएगा जिसमें बोर्ड के अधिकारों का उपयोग करने के लिए बोर्ड द्वारा प्रदत्त शक्तियां भी सम्मिलित हैं) द्वारा सहमत है जो बैंक की तरफ से एतद्वारा अधिकृत है तथा भारतीय प्रतिभूति तथा विनियम बोर्ड (पूंजी तथा प्रकटन आवश्यकताओं का निर्गम) अधिनियम, 2009 समय-समय पर यथासंशोधित (सेबी आईसीडीआर अधिनियम) के पाठ vii के अनुसरण में अधिमाम्य रूप में सम्मिलित सभी पात्र निवेशकों यथा भारत के राष्ट्रपति को एक या एक से अधिक निजी इक्विटी शेयर को प्रदान करना, चाहे यह निवेशक बैंक के शेयरधारक हों या न हों, एक या एक से अधिक विवरणिका और/या प्रस्ताव पत्र या ऑफर करने वाले परिपत्र अथवा कोई ऑफर प्रलेख और/या निजी/अधिमाम्य स्थापन आधार हेतु अथवा अब तक जारी आबंटित सभी प्रतिभूतियों पर 2,13,63,001 इक्विटी शेयर से अधिक इक्विटी शेयर नहीं होने चाहिए तथा प्रति शेयर का अंकित मूल्य रुपये 10 होना चाहिए तथा सेबी आईसीडीसीआर अधिनियमों अथवा अधिमाम्य आधार पर निदेशक मंडल द्वारा उचित पाए जानेवाले के अनुरूप कुल प्रीमियम में (.) जो प्रस्ताव प्रलेख और/या इस प्रकार का अन्य प्रलेख/लेख के द्वारा इस प्रकार तथा ऐसी शर्तों पर होगा जिसे बोर्ड अपने विवेकाधिकार से उचित समझता है, इस उद्देश्य हेतु संबंधित तिथि 15 फरवरी, 2011 (अथवा कोई अन्य लागू तिथि) पर विचार के अनुसार होगा।

यह भी संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प के अनुसार अधिमाम्य आधार पर प्रस्तावित एवं आबंटित किये जाने वाले इक्विटी शेयर डिमेटीकृत रूप में जारी किये जाएंगे और सेबी आईसीडीसीआर विनियमों के अध्याय VII के अन्तर्गत अपेक्षित ‘लॉक-इन’ आवश्यकता के अध्यक्षीन होंगे और सभी दृष्टि से (लाभांश सहित) बैंक के वर्तमान इक्विटी शेयरों के समरूप होंगे एवं उसी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो सकते हैं, जहाँ बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं।

यह भी संकल्प किया जाता है कि उपर्युक्त प्रस्तावित शेयरों में से, कारण चाहे जो भी हो, यदि कोई पूर्णतः या आंशिक रूप से अभिदत्त नहीं है तो निदेशक मंडल को दी गई सहमति में ऐसे इक्विटी शेयरों को अपने पूर्ण विवेकाधिकार में किसी एक या अधिक प्रस्तावित आबंटिती को समान शर्तों एवं निबंधनों पर प्रस्तावित करने, जारी करने और आबंटित करने का प्राधिकार सम्मिलित होना माना जाएगा।

“यह भी संकल्प किया जाता है कि इक्विटी शेयरों या प्रतिभूतियों या इसका प्रतिनिधित्व करने वाले विलेखों के किसी भी प्रस्ताव, निर्गम को प्रभावी करने के उद्देश्य से जैसा कि ऊपर बताया गया है, बैंक की ओर से निदेशक मंडल को ऐसे सभी व्यवहारों, कार्यों, मर्मलों और बातों जो उसके पूर्ण विवेकाधिकार में हैं और जैसा वह ऐसे उद्देश्य के लिए आवश्यक या वांछनीय समझे, बिना किसी सीमा के प्रतिभूतियों की संख्या जो घरेलू/अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रस्तावित की जा सकती है एवं उनके अनुपात का निर्धारण, रजिस्ट्रार, प्रबंध, विपणन, सूचीबद्ध करने के लिए कोई व्यवस्था करने और किसी दस्तावेज(जों) जो प्रास्पेक्टस और/या प्रस्ताव पत्र और/या परिपत्र सहित, परन्तु इन तक सीमित नहीं, को जारी करने और सभी विलेखों, दस्तावेजों और लेखन को हस्ताक्षरित करने और इससे संबंधित कोई भी शुल्क, कमीशन, पारिश्रमिक, व्ययों का भुगतान करने और ऐसे सभी प्रस्ताव(वों) या निर्गम(मों) या आबंटन(नों) के संबंध में उठने वाले प्रश्नों, कठिनाईयों या संदेहों के निपटान के लिए बैंक की ओर से अपने पूर्ण विवेकाधिकार में जैसा उचित हो और इस संबंध में सभी उपाय करने जो प्रासंगिक और अनुषंगी हो, के लिए प्राधिकृत किया जाए और एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है।”



“यह भी संकल्प किया जाता है कि निदेशक मंडल को इसके द्वारा प्रदत्त सभी या किसी अधिकार को बैंक की किसी समिति या किसी एक या अधिक कार्यपालक को प्रत्यायोजित करने हेतु प्राधिकृत किया जाए और एतद्वारा उसे प्राधिकृत किया जाता है।”

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

ए. के. मिश्रा

(आलोक मिश्रा)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : मुंबई

दिनांक : 15.02.2011

टिप्पणियां :

1. इस बैठक में उपस्थित रहने एवं मतदान करने के पात्र सदस्य को हक होगा कि वह किसी परोक्षी को नियुक्त कर सके जो उनके बजाए इस बैठक में उपस्थित होकर मत दे सके तथा किसी परोक्षी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। दिनांक 12 मार्च, 2011 को अथवा उसके पहले परोक्षी फार्म प्रधान कार्यालय को अवश्य दिया जाए जिससे वह वैध एवं प्रभावी हो सके।
2. व्याख्यात्मक विवरण संलग्न है।
3. शेयरधारकों से अनुरोध है कि अंतरण और शिकायत निवारण के लिए वे बैंक या रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट, मे. शेयर प्रो सर्विसेज (आई) प्रा.लि.को निम्नलिखित पते पर लिखें:

कंपनी सचिव

बैंक ऑफ़ इंडिया, प्रधान कार्यालय,

स्टार हाउस, सी-5, “जी” ब्लॉक,

बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051.

फोन - 66684444

ई-मेल : Headoffice.share@bankofindia.co.in

बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट्स :

मेसर्स शेयरप्रो सर्विसेज (इंडिया) प्रा.लि.

यूनिट : बैंक ऑफ़ इंडिया, 13 एबी समहिता वेयर हाउसिंग कॉम्प्लेक्स,

निकट अंधेरी कुर्ला रोड, साकीनाका टेलीफोन एक्सचेंज लेन,

साकीनाका, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 072.

टेलीफोन - 022-67720300 / 67720400 फ़ैक्स 022- 28591568

ई-मेल : boi@shareproservices.com



नोटिस का अनुलग्नक - विवरणात्मक जानकारी

1. बैंक, बैंकिंग व्यवसाय एवं इससे संबंधित गतिविधियों का कारोबार करता है। वर्तमान में, बैंक की अधिकृत पूंजी, ₹3000 करोड़ (रुपए तीन हजार करोड़ मात्र) है। 15 फरवरी, 2011 को बैंक की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी ₹525.18 करोड़ है।
2. आपके बैंक ने वर्ष 1997 में प्रारंभिक पब्लिक ऑफर के माध्यम से ₹35/- प्रत्येक के प्रीमियम पर ₹10/- प्रत्येक के 15 करोड़ इक्विटी शेयरों को जारी कर कुल ₹675 करोड़ की पूंजी जुटाई थी। बैंक ने आगे फरवरी, 2008 में क्वालिफाईड इंस्टीट्यूशन्स प्लेसमेंट के माध्यम से कुल ₹1359.81 करोड़ के ₹350/- प्रत्येक के प्रीमियम पर 3,77,72,600 इक्विटी शेयर जारी किये। वर्तमान में हमारे बैंक में भारत सरकार की शेयर होल्डिंग ₹338.58 करोड़ है, जो बैंक की कुल प्रदत्त पूंजी का 64.47% है। दिसंबर 31, 2010 तक पूंजीगत निधि से जोखिम भारित आस्तियां निम्नानुसार हैं :

विवरण (31.12.2010 तक)	राशि ₹ करोड़ों में	पूंजीगत निधि से जोखिम भारित आस्तियां का %
जोखिम भारित आस्तियां	1,76,445	
टियर-I पूंजी	14,070	7.97
टियर - II पूंजी	7,836	4.44
कुल पूंजी	21,906	12.41

3. बैंक पिछले कई वर्षों से 22% की औसत वृद्धि दर पर तीव्र गति से विकास कर रहा है। लंबी अवधि के संसाधन जुटाने एवं सामान्य उधार उद्देश्यों हेतु ऋण उपलब्ध कराने के माध्यम से कारोबार विस्तार करने हेतु निधियों की वृद्धिशील आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रवर्तकों को अधिमानी आधार पर, इस प्रयोजन के लिए संबद्ध तिथि यथा 15 फरवरी, 2011 पर विचार करते हुए समय-समय पर यथा संशोधित ("सेबी आईसीडीआर विनियमन") भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (पूंजी निर्गम एवं प्रकटन आवश्यकता) विनियमन, 2009 के अध्याय VII के उपबंधों के अनुसार, बैंक निर्धारित किये गए मूल्य पर 2,13,63,001 तक (दो करोड़ तेरह लाख तिरसठ हजार एक केवल) इक्विटी शेयर अधिमानी निर्गम के माध्यम से निधि में वृद्धि किये जाने का प्रस्ताव करता है।
4. वर्तमान संकल्प को पारित करने का प्रस्ताव है ताकि बैंक का निदेशक मंडल उपर्युक्त उल्लिखित अधिमानी इश्यू एवं आबंटन कर सके।
5. सेबी आईसीडीआर विनियमन के अध्याय VII के प्रावधानों के अनुसार प्रस्तावित अधिमानी इश्यू के निम्न विवरण का प्रकटन किया जा रहा है।

I. प्रस्तावित अधिमानी इश्यू के उद्देश्य :

विनियामक अपेक्षाओं के अनुपालनार्थ एवं सामान्य उधार देने के उद्देश्य से जैसा कि बैंक द्वारा निर्धारित किया जाये, बैंक की आस्तियों में वृद्धि के कारण भावी पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमारे पूंजी आधार को बढ़ाना।

II. प्रस्ताव के अभिदान के लिए जारीकर्ता के प्रवर्तक, निदेशक या मुख्य प्रबंधन कार्मिक का प्रस्ताव: परिच्छेद (V) में उल्लिखित प्रवर्तक के अतिरिक्त कोई भी निदेशक अथवा प्रमुख प्रबंधन व्यक्ति निम्न इक्विटी शेयर नहीं खरीदना चाहता।

III. प्रस्तावित अधिमानी प्रस्ताव के पूर्व और पश्चात शेयर होल्डिंग पैटर्न :

क्रमांक	शेयरहोल्डर का नाम	शेयर की संख्यानुसार पूर्व-आबंटन	पूर्व आबंटन में प्रदत्त पूंजी %	शेयरों की संख्यानुसार आबंटन के बाद	आबंटन के बाद प्रदत्त पूंजी का %
1.	प्रवर्तक समूह भारत के राष्ट्रपति	33,85,80,000	64.47	35,99,43,001	65.86
2.	अन्य शेयर होल्डर	18,65,95,500	35.53	18,65,95,500	34.14
3.	कुल (1+2)	52,51,75,500	100.00	54,65,38,501	100.00

IV. समयावधि जिसके भीतर यह अधिमानी इश्यू पूर्ण होगा:

शेयरहोल्डरों द्वारा संकल्प पारित होने के 15 दिनों के भीतर आबंटन होगा बशर्ते आबंटन का समय किसी रेग्युलेटरी प्राधिकारी द्वारा ऐसे आबंटन हेतु प्राप्त किये जाने वाले अनुमोदन के समय से बढ़ा हुआ हो।

V. प्रस्तावित आबंटितियों की पहचान एवं उनके द्वारा रखी जा सकने वाली अधिमानी के बाद पूंजी तथा अधिमानी इश्यू के परिणामस्वरूप जारीकर्ता के नियंत्रण में परिवर्तन, यदि कोई हो :

प्रस्तावित आबंटितियों की पहचान	आबंटित किये जाने वाले इक्विटी शेयरों की संख्या	इश्यू के बाद/आबंटन का %
प्रवर्तक - भारत के राष्ट्रपति	2,13,63,001	3.91

बैंक के वर्तमान प्रवर्तक अर्थात् भारत के राष्ट्रपति का बैंक के ऊपर नियंत्रण जारी रहेगा तथा प्रस्तावित अधिमानी आबंटन के परिणामस्वरूप बैंक के नियंत्रण/प्रबंधन में कोई परिवर्तन नहीं होगा।



VI. प्रस्तावित अधिमानी इश्यू का मूल्य निर्धारण

- > निर्गम का मूल्य सेबी (आईसीडीआर) अधिनियम के अध्याय VII में उल्लिखित अधिमानी इश्यू हेतु तथा अद्यतन संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।
- > परिणामी इक्विटी शेयरों के इश्यू मूल्य निर्धारण हेतु उपयुक्त तारीख 15 फरवरी, 2011 है जोकि वह तारीख है जो इस संकल्प को पारित करने की तारीख अर्थात् 17 मार्च, 2011 से 30 दिन पूर्व की तिथि है।
- > बैंक यह वचन देता है कि वह इन विनियमों के उपबंधों की शर्तों के अनुसार विशिष्ट प्रतिभूतियों के मूल्य की पुनः संगणना करेगा, जहाँ ऐसा किया जाना आवश्यक है।
- > बैंक यह भी वचन देता है कि यदि मूल्य की पुनः संगणना के कारण देय राशि इन विनियमों में निर्धारित समय के भीतर प्रदत्त न की गई, तो आर्बिटिरी द्वारा ऐसी राशि प्रदत्त किये जाने की समयावधि तक इक्विटी शेयर निरंतर अवरूद्ध रहेंगे।

VII. आशय पत्र

वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से कुल ₹1,010 करोड़ (एक हजार दस करोड़ केवल) भारत सरकार के पक्ष में इक्विटी के अधिमानी आबंटन के द्वारा अभिदान करने की सहमति हेतु पत्र क्र.एफ/11/7/2008-बीओए दिनांक 15 फरवरी, 2011 प्राप्त हुआ है।

इसके अलावा इस पत्र में यह प्रावधान है कि इस इक्विटी के अधिमानी आबंटन के माध्यम से प्राप्त की गई पूंजी का उपयोग बैंक के द्वारा किसी भी रूप में अपनी किसी भी सहायक कंपनी, संयुक्त उद्यम आदि में निवेश में नहीं किया जायेगा।

VIII. सांविधिक लेखा परीक्षक से प्रमाणनः

मेसर्स करनावट एंड कं., सनदी लेखाकार, बैंक के सांविधिक लेखा परीक्षक ने यह प्रमाणित किया है कि सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुसार शेयर निर्गमित किये जा रहे हैं। 17 मार्च, 2011 को बैंक की साधारण बैठक में उपर्युक्त प्रमाणपत्र की एक प्रति निरीक्षणार्थ उपलब्ध कराई जाएगी।

IX. लॉक इन अवधिः

सेबी आईसीडीआर विनियम के अनुसार प्रवर्तकों अर्थात् भारत सरकार को अधिमानी आधार पर जारी किये जाने हेतु प्रस्तावित शेयर्स आबंटन की तिथि से तीन वर्षों की लॉक इन अवधि के अध्यधीन होंगे।

X. उपर्युक्त जारी किये गए इक्विटी शेयर बैंक के वर्तमान इक्विटी शेयर्स सहित सभी दृष्टि (लाभांशों सहित) से समान होंगे।

XI. उल्लिखित आबंटन के परिणाम

आर्बिटिरी को उन्हें आर्बिटित किये गए इक्विटी शेयरों के अनुपात में बैंक में मतदान का अधिकार होगा एवं बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 (2ई) के उपबंधों, जहां लागू हों, के अध्यधीन, उन्हें निम्नानुसार पात्रता होगी :-

“केंद्रीय सरकार के अलावा, बैंक का कोई भी शेयरधारक, उनके द्वारा धारित किसी भी शेयर के संबंध में बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकार का एक प्रतिशत से अधिक मतदान के अधिकार का पात्र नहीं होगा”।

6. भारत के स्टॉक एक्सचेंजों में, जहां बैंक के इक्विटी शेयर्स सूचीबद्ध हैं, बैंक द्वारा निष्पादित सूचीकरण करार के खंड 23 में अन्य बातों के साथ यह व्यवस्था है कि जब अतिरिक्त शेयर्स के आबंटन द्वारा बैंक की निर्गमित पूंजी में वृद्धि की जाना प्रस्तावित हो, ऐसे शेयर्स, बैंक के वर्तमान शेयरधारकों को बैंक में उनकी शेयरधारिता के अनुपात में अभिदान हेतु प्रथम प्रस्तावित किये जाएंगे, जब तक कि साधारण सभा में शेयरधारकों द्वारा विशेष प्रस्ताव द्वारा अन्यथा निर्णय न लिया गया हो। पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर आर्बिटित करने हेतु यह प्रस्तावित किया गया है, जो बैंक के वर्तमान शेयर धारकों को यथानुपात के अलावा हैं, उक्त प्रस्ताव पारित किया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त यह प्रस्ताव सेबी की आईसीडीआर विनियम 2009 के अन्तर्गत भी अनिवार्य है।
7. उपर्युक्त की दृष्टि से, उल्लिखित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 (2ई) के उपबंधों के अध्यधीन सदस्यों का अनुमोदन मांगा जाता है, जिसका निम्नानुसार उल्लेख किया गया है:-
“केंद्रीय सरकार के अलावा, बैंक का कोई भी शेयरधारक, उनके द्वारा धारित किसी भी शेयर के संबंध में बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकार का एक प्रतिशत से अधिक मतदान के अधिकार का पात्र नहीं होगा”।
उपर्युक्त प्रस्ताव को एक विशेष प्रस्ताव के रूप में पारित करने के लिए यथा संशोधित भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (पूंजी निर्गम एवं प्रकटन आवश्यकता) विनियमन, 2009 के अध्याय VII के उपबंधों की शर्तों के अनुसार इसे बैंक ऑफ इंडिया (शेयर्स एवं बैंक) विनियमन - 2007 के विनियम 61 के साथ पढ़ा जाए।
8. आपके निदेशकों द्वारा आपके अनुमोदनार्थ प्रस्ताव अनुशंसित है।
9. बैंक के निदेशक, बैंक में उनकी शेयर धारिता की सीमा तक ही संबंधित या नोटिस के प्रस्ताव में इच्छुक माने जाएंगे या उन कंपनियों/संस्थाओं में जिनके वे निदेशक या सदस्य हैं।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

र. के. मिश्रा

(आलोक मिश्रा)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दिनांक : 15.02.2011

स्थान : मुंबई



NOTICE

NOTICE is hereby given that an Extraordinary General Meeting of the members of Bank of India will be held on Thursday the 17th March 2011 at 3.30 P.M. at Bank of India Auditorium, Star House, Bandra Kurla Complex, Mumbai 400 051 to transact the following special business:

To consider and if thought fit, to pass the following resolution, with or without modifications, as a Special Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 3(2B) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, Section 20 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, Clause 23 of the Listing Agreement entered into with the Bombay Stock Exchange Limited and the National Stock Exchange of India Limited (including any amendment thereto or re-enactment thereof) and in accordance with the provisions of Regulation 4A of the Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 2007 and the other Rules/ Notifications/Circulars/ regulations/guidelines, if any, prescribed by the Government of India, Reserve Bank of India, Securities and Exchange Board of India or any other relevant authority, whether in India or abroad, from time to time to the extent applicable and subject to approvals, consent, permissions and sanctions as might be required and further subject to such conditions as might be prescribed while granting such approvals, consents, permissions and sanctions, which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank of India (the **Bank**) (hereinafter referred to as the **"Board"**, which term shall be deemed to include any Committee(s) constituted / to be constituted by the Board to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) is hereby authorised on behalf of the Bank, to create, offer, issue and allot (including by way of Preferential Issue in terms of the Chapter VII of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009, as amended from time to time (the **"SEBI ICDR Regulations"**), in the course of one or more private offerings of equity shares to all eligible investors, including promoter of the Bank i.e. President of India and whether or not such investors are shareholders of the Bank, through one or more prospectus and / or letter of offer or offering circular or any offer document and / or private / preferential placement basis, for, or which upon exercise of all securities so issued and allotted could give rise to the issue of equity shares not exceeding 2,13,63,001 equity shares of the face value of ₹ 10 each aggregating to ₹ [•] at premium to be determined in accordance with the SEBI ICDR Regulations or any as deem appropriate by the Board of Directors on preferential basis through any offer document and / or such other documents / writings, in such manner and on such terms and conditions as the Board may in its absolute discretion think fit considering 15th February 2011 (or any other applicable date) as the Relevant Date for this purpose.

RESOLVED FURTHER THAT the equity shares to be offered and allotted on preferential basis in terms of this resolution shall be issued in dematerialized form and shall be subject to lock-in requirements as required under chapter VII of the SEBI ICDR Regulations and shall rank pari passu in all respects (including dividend) with the existing equity shares of the Bank and can be listed on stock exchanges where the equity shares of the Bank are listed.

RESOLVED FURTHER THAT in case any of the above shares offered remain unsubscribed in full or part, for any reason whatsoever, then the consent granted to the Board shall be deemed to include an authority to offer, issue and allot, in its absolute discretion, any such equity shares to any one or more of the proposed allottees, on the same terms and conditions.

RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to any offer, issue or allotment of equity shares or securities or instruments representing the same, as described above, the Board be and is hereby authorised on behalf of the Bank to do all such acts, deeds, matters and things as it may, in its absolute discretion, deem necessary or desirable for such purpose, including without limitation, the determination of the number of securities that may be offered in domestic or international markets, entering into arrangements for managing, marketing, listing, registrar and to issue any document(s), including but not limited to prospectus and/or letter of offer and/or circular, and sign all deeds, documents and writings and to pay any fees, commissions, remuneration, expenses relating thereto and with power on behalf of the Bank to settle all questions,



difficulties or doubts that may arise in regard to such offer(s) or issue(s) or allotment(s) as it may, in its absolute discretion, deem fit and take all steps which are incidental and ancillary in this connection.

RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorised to delegate all or any of its powers herein conferred to any Committee or any one or more executives of the Bank."

By order of the Board

(ALOK K MISRA)

Chairman & Managing Director

Place: Mumbai.

Date: 15/02/2011

Notes

1. A MEMBER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF AND A PROXY NEED NOT BE A MEMBER. PROXY FORMS IN ORDER TO BE VALID AND EFFECTIVE MUST BE DELIVERED AT THE HEAD OFFICE OF THE BANK ON OR BEFORE 12th MARCH, 2011.
2. The explanatory statement is annexed hereto.
3. The shareholders are requested to write to the Bank or to the Registrar and Share Transfer Agent, M/s. Sharepro Services (I) Pvt. Ltd. regarding transfer of shares and for resolving grievances at the below address:

The Company Secretary
Bank of India, Head Office,
Star House, C – 5, 'G' Block
Bandra Kurla complex, Bandra (East),
Mumbai 400 051. Phone-66684444
E-Mail: Headoffice.share@bankofindia.co.in

Bank's Registrar and Share Transfer Agents:

M/s. Sharepro Services (India) Pvt. Ltd.,
Unit : Bank of India
13 AB Samhita Warehousing Complex
Off. Andheri Kurla Road
Sakinaka Telephone Exchange Lane
Sakinaka, Andheri (East)
Mumbai 400 072
Tel : 22- 67720300 / 67720400
Fax : 22 - 28591568
E mail: boi@shareproservices.com



ANNEXURE TO NOTICE EXPLANATORY STATEMENT

1. The Bank is in the business of the banking and its related activities. Presently, the Authorised Capital of the Bank is ₹3000 Crore (Rupees Three Thousand Crore Only). The Paid-up Equity Share Capital of the Bank as on 15th February 2011 is ₹525.18 crores.
2. Your Bank had raised capital by issue of 15 Crores equity shares of ₹10/- each at a premium of ₹35/- each through Initial Public Offer aggregating ₹ 675 Crore in the year 1997. The Bank further issued 3,77,72,600 Equity Shares of ₹10/- each at a premium of ₹350/- each aggregating ₹1,359.81 Crore through a Qualified Institutions Placement in February 2008. Presently, the shareholding of Government of India in your Bank is ₹338.58 Crores, which constitutes 64.47% of total paid-up capital of the Bank. The Capital fund to Risk Weighted Assets as on December 31, 2010 was as under.

Particulars (As on 31.12.2010)	Amount Rupees in crores	% of capital funds to risk weighted assets
Risk Weighted Assets	1,76,445	
Tier-I Capital	14,070	7.97
Tier-II Capital	7,836	4.44
Total Capital	21,906	12.41

3. The Bank is growing at a rapid pace at an average growth rate of 22% over the last many years. In order to meet the growing requirement of funds for expanding the business by way of long term resources and for general lending purposes as may be decided by the Board, the Bank proposes to raise funds by way of a Preferential issue of upto 2,13,63,001 (Two Crore Thirteen Lac Sixty Three Thousand One) equity shares at a price to be determined in accordance with the provisions of Chapter VII of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations 2009, as amended from time to time, ("**SEBI ICDR Regulations**") considering 15th February 2011 as the Relevant Date for this purpose, on preferential basis to Promoters i.e. The President of India.
4. The present resolution is proposed to be passed as a special resolution in order to enable the Board of Directors of the Bank to make the above-mentioned preferential issue and allotment.
5. The following details of the proposed preferential issue are disclosed in accordance with the provisions of SEBI ICDR Regulations-2009 :

I. Objects of the proposed Preferential Issue:

To augment our capital base to meet the future capital requirements arising out of growth in the Bank's assets, compliance with regulatory requirements and for general lending purposes as may be decided by the Bank

II. Proposal of the Promoters, Directors or Key Management Personnel of the issuer to subscribe to the offer:

None of the Directors or Key Management personnel other than Promoter as mentioned in Clause (V) below intends to subscribe to the equity shares.

III. Shareholding Pattern before and after the proposed Preferential Offer:

Sr. No.	Name of Shareholder	Pre-allotment in terms of No. of shares	% of pre-allotment Paid Up Capital	Post allotment in terms of No. of Shares	% of Post-allotment Paid Up Capital
1.	Promoter Group The President of India	33,85,80,000	64.47	35,99,43,001	65.86
2.	Other Shareholders	18,65,95,500	35.53	18,65,95,500	34.14
3.	Total (1+2)	52,51,75,500	100.00	54,65,38,501	100.00

IV. The timeline within which the preferential issue shall be completed:

The allotment shall be made within 15 days of the passing of the resolution by the shareholders, provided the time for allotment shall be extended by the time taken for obtaining approval for such allotment from any regulatory authorities.

V. The identity of the Proposed Allottees and the percentage of post Preferential Issue capital that may be held by them and change in control, if any, in the issuer consequent to the preferential issue :

Identity of the Proposed Allottees	No. of equity shares to be allotted	% of Post Issue/ Allotment
Promoters - President of India	2,13,63,001	3.91

The existing promoters of the Bank i.e. The President of India will continue to vests their control over the Bank and there will not be any change in the management / control on the Bank as a result of the proposed preferential allotment.



VI. Pricing of the proposed Preferential Issue:

- The Issue Price has been determined in accordance with the Chapter VII of the SEBI ICDR Regulations.
- The “relevant date” for determining the issue price of the resultant equity shares is 15th February 2011, being the date which is 30 days prior to the date on which the meeting of the shareholder is held to consider the proposed preferential issue.
- The Bank undertakes that it shall re-compute the price of the specified securities in terms of the provisions of these regulations where it is required to do so.
- The Bank also undertakes that if the amount payable on account of the re-computation of price is not paid within the time stipulated in these regulations, the equity shares shall continued to be locked - in till the time such amount is paid by the allottees.

VII. Letter of Intent

The Bank has received a Letter Number F.No. 11/7/2008-BOA dated 15th February 2011 from Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India agreeing to infuse ₹1,010 Crores (Rupees One Thousand Ten Crore only) by way of preferential allotment of equity in favour of the Government of India.

Further the letter provides that the capital raised through this preferential allotment of equity will not be use by the bank for making investment in whatsoever form, in any of its subsidiary, joint venture etc.

VIII. Certification from Statutory Auditors:

M/s. Karnavat & Co., Chartered Accountants, Statutory Auditors of the Bank, have certified that the issue of shares is being made in accordance with the SEBI ICDR Regulations. A copy of the said certificate will be made available for inspection at the General Meeting on March 17, 2011.

IX. Lock-in period:

As per SEBI ICDR Regulations, the equity shares proposed to be issued on preferential basis to the Promoters i.e. President of India and shall be subject to a lock-in of three years from the date of allotment.

X. The equity shares issued as above shall rank pari passu in all respects (including dividend) with the existing equity shares of the Bank

XI. Consequential to the aforesaid allotment

The Allottee will acquire voting rights in the Bank in the proportion to which the equity shares which are allotted to them and they will be entitled, subject to the provisions of Section 3(2E) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act 1970, where applicable, which states that

“No shareholder of the corresponding New Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting right in respect of any shares held by them in excess of one percent of the total voting rights of all the shareholders of the corresponding New Bank.”

6. Clause 23 of the Listing Agreement executed by the Bank with the stock exchanges in India where the Bank's Equity Shares are listed provide inter-alia that when it is proposed to increase the issued capital of the Bank by allotment of further shares, such shares, shall be first offered to the existing shareholders of the Bank for subscription in proportion to their shareholding in the Bank unless the shareholders decide otherwise in a general meeting by a special resolution. As it is proposed to allot fully paid up Equity Share is other than pro rata to the existing shareholders of the Bank, the above resolution is required to be passed. Further, it is also a required under Regulation 72 of the SEBI –ICDR Regulations-2009.
7. In view of the above, approval of the shareholders is sought, subject to provisions of Section 3(2E) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act 1970, which is stated as under :
“No shareholder of the corresponding New Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting right in respect of any shares held by them in excess of one percent of the total voting rights of all the shareholders of the corresponding New Bank.”
and in terms of the provisions of the Chapter VII of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009, as amended read with Regulation 61 of the Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 2007 to pass the above Resolution as a Special Resolution.
8. Your Directors recommend the resolution for your approval.
9. The Directors of the Bank may be deemed to be concerned with or interested in the resolution of the notice to the extent of their shareholding in the Bank or by the Companies/Institutions of which they are Directors or Members.

By order of the Board

(Alok K Misra)

Chairman & Managing Director

Place : Mumbai
Date : 15/02/2011



रिशतों की जमापूँजी

प्रधान कार्यालय : स्टार हाउस, सी-5, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051.

फोलियो नं. _____
(यदि डीमेट न किया गया हो)

डीपी आईडी नं. _____
ग्राहक आई डी नं. _____
(यदि डीमेट किया गया हो)

परोक्षी फार्म

(शेयरधारक द्वारा भरा और हस्ताक्षरित किया जाए)

मैं/हम _____ निवासी _____ जिला _____
राज्य _____ बैंक ऑफ़ इंडिया का/के शेयरधारक हूँ/
हैं और मैं/हम एतद्वारा श्री/श्रीमती _____ को या व न होने पर श्री/श्रीमती _____
निवासी _____ जिला _____
राज्य _____ को मेरे/हमारे लिए तथा मेरी/हमारी ओर से गुरुवार दिनांक 17 मार्च, 2011 को आयोजित बैंक ऑफ़ इंडिया
के शेयरधारकों की बैठक में और संबंधित बैठक के स्थगन की स्थिति में मतदान के लिए परोक्षी के रूप में नियुक्त करता हूँ/करते हैं।
माह _____ की _____ 2011 को हस्ताक्षरित।

परोक्षी के हस्ताक्षर

नाम: _____

पता: _____

रसीदी टिकट

प्रथम/एकमात्र शेयरधारक के हस्ताक्षर

परोक्षी फार्म पर हस्ताक्षर करने और इसे जमा करने संबंधी अनुदेश

- कोई परोक्षी लिखत तब तक वैध नहीं मानी जाएगी जब तक कि वह,
 - क. एकमात्र शेयरधारक व्यक्ति के मामले में शेयरधारक द्वारा या उनके द्वारा लिखित में विधिवत प्राधिकृत अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं होगी।
 - ख. संयुक्त धारकों के मामले में यह रजिस्टर में दर्ज प्रथम शेयरधारक द्वारा या उनके द्वारा लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं हों।
 - ग. निगमित निकाय के मामले में लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत अधिकारी या अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं होगी।
- परोक्षी लिखत किसी शेयरधारक द्वारा पर्याप्त रूप से हस्ताक्षरित होनी चाहिए किन्तु किसी कारणवश शेयरधारक अपना नाम लिखने में असमर्थ है और उनके अंगूठे का निशान वहां लगा है तो वह निशान न्यायधीश, मजिस्ट्रेट, बीमा रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार या किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या बैंक ऑफ़ इंडिया के किसी अधिकारी द्वारा साक्ष्यांकित (अटेस्टेड) होना चाहिए।
- कोई भी परोक्षी तब तक वैध नहीं होगा जब तक उस पर विधिवत रसीदी टिकट न लगा हो और उसे निम्नलिखित पते पर वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख से कम से कम **चार दिन** पहले जमा नहीं कराया गया हो। उसके साथ उस पॉवर ऑफ़ अटॉर्नी या अन्य प्राधिकार (यदि कोई हो) जिसके तहत उसे हस्ताक्षरित किया गया हो या उस पॉवर ऑफ़ अटॉर्नी की प्रति या अन्य प्राधिकार को बैंक में पहले जमा और पंजीकृत न किया गया हो।
बैंक ऑफ़ इंडिया, शेयर विभाग, प्रधान कार्यालय, 8 वीं मंजिल, स्टार हाउस, सी-5, "जी" ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051.
- बैंक के पास जमा की गयी परोक्षी की लिखत अप्रतिसंहरणीय तथा अंतिम होगी।
- विकल्प में दो व्यक्तियों के पक्ष में प्रदत्त परोक्षी की लिखत के मामले में एक से अधिक फार्म निष्पादित नहीं किया जाएगा।
- परोक्षी की लिखत को निष्पादित करने वाले शेयरधारक वार्षिक आम बैठक में व्यक्तिगत रूप से मतदान करने के हकदार नहीं होंगे।
- किसी भी ऐसे व्यक्ति को विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि अथवा परोक्षी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा जो बैंक ऑफ़ इंडिया का अधिकारी अथवा कर्मचारी हो।



Head Office : Star House, C-5, 'G' Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051.

Folio No. _____
(if not dematerialised)

DP ID No. _____
Client ID No. _____
(if dematerialised)

PROXY FORM

(To be filled in and signed by the Shareholder)

I/We, _____ resident of _____
_____ in the district of _____ in the state of _____
being a shareholder/shareholders of Bank of India, hereby appoint Shri/Smt _____
_____ resident of _____ in the district of _____
in the state of _____ or failing him/her Shri/Smt _____
resident of _____ in the district of _____ in the state of _____
as my/our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the Meeting of the shareholders of Bank of India to be held on
Thursday 17th March 2011 and at any adjournment thereof.

Signed this _____ day of _____ 2011.

Signature of Proxy _____

Revenue
Stamp

Signature of first named/sole shareholder

Name: _____

Address : _____

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

- No instrument of proxy shall be valid unless,
 - in the case of an individual shareholder, it is signed by him/her attorney, duly authorised in writing.
 - in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his/her attorney, duly authorised in writing.
 - in the case of a body corporate signed by its officer or an attorney, duly authorised in writing.
- An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his/her name, if his/her mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurance or other Government Gazetted Officer or an Officer of Bank of India.
- No proxy shall be valid unless it is duly stamped and deposited at the following address not less than **FOUR DAYS** before the date of the Extraordinary General Meeting, together with the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or a copy of that power of attorney or other authority certified as a true copy by a Notary Public or a Magistrate, unless such a power of attorney or the other authority is previously deposited and registered with the Bank. Bank of India, Share Department Head Office, 8th Floor Star House, C-5, 'G' Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East) Mumbai - 400 051.
- An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
- In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
- The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Extraordinary General Meeting.
- No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or employee of the Bank.



रिश्तों की जमापूँजी

प्रधान कार्यालय : स्टार हाउस, सी-5, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051.

असाधारण सामान्य बैठक हेतु उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश-पत्र

दिनांक: 17 मार्च 2011, समय: अपराह्न : 03.30 बजे

बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडिटोरियम, स्टार हाउस, सी-5, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051.

उपस्थिति पत्र

(प्रवेश के समय जमा करने हेतु)

पन्ना क्र.ग्राहक आईडी नं.

शेयरों की संख्या

उपस्थित शेयरधारक/परोक्षी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर



रिश्तों की जमापूँजी

प्रवेश पत्र

पन्ना क्र.ग्राहक आईडी नं.

क्रम संख्या

शेयरों की संख्या

बैठक हॉल में प्रवेश के लिए शेयरधारकों/परोक्षियों/प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे इस उपस्थिति पत्रक-सह-प्रवेश-पत्र को विधिवत हस्ताक्षर करके प्रस्तुत करें। प्रवेश-पत्र वाला भाग शेयरधारकों/परोक्षियों/प्रतिनिधियों को लौटा दिया जायेगा जिसे उन्हें बैठक समाप्त होने तक अपने पास रखना चाहिए। फिर भी यदि आवश्यक समझा गया तो प्रवेश के बारे में फिर से सत्यापन/जांच की जा सकती है। किसी भी हालत में बैठक हॉल में प्रवेश के लिए उपस्थिति पत्र की कोई दूसरी प्रति जारी नहीं की जायेगी।

पश्चलेख : बैठक के दौरान कोई उपहार/उपहार कूपन नहीं बांटे जायेंगे।



Relationship beyond banking

HEAD OFFICE: : Star House, C-5, 'G' Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East) Mumbai - 400 051.

ATTENDANCE SLIP – CUM - ENTRY PASS FOR EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Date: 17th March 2011, Time 03.30 P.M.

Bank of India Auditorium, Star House, 'C' 5 G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai 400 051

ATTENDANCE SLIP

(to be surrendered at the time of Entry)

Folio No./ Client ID No.:

No. of Shares

Signature of the shareholder / proxy /
Representative present



Relationship beyond banking

ENTRY PASS

Folio No./ Client ID No.:

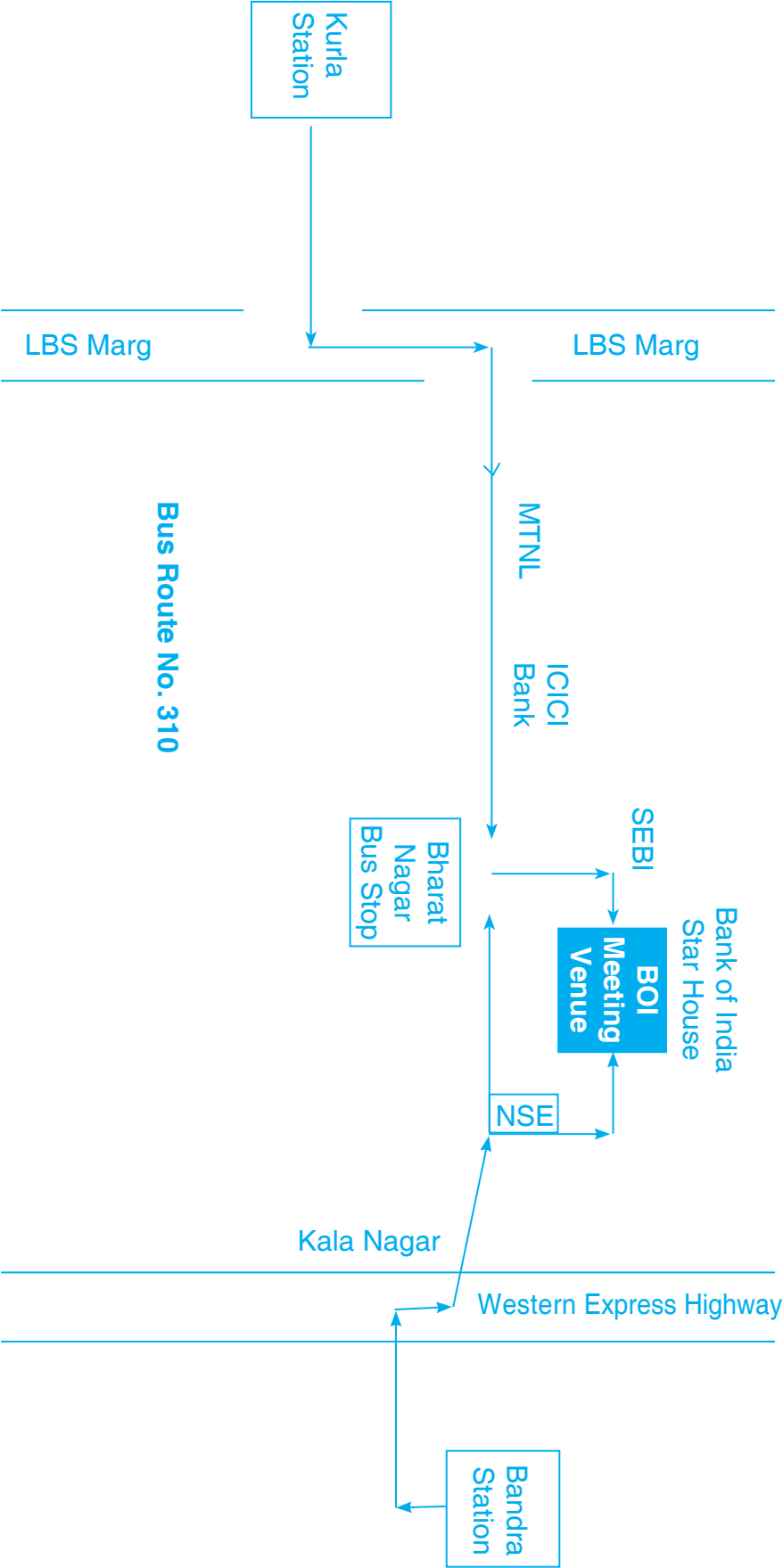
Serial No.

No. of Shares

Share holders/proxy holders or representatives are requested to produce this attendance slip – cum – entry pass, duly signed, for admission to the meeting hall. The entry pass portion will be handed back to the shareholders / proxy holders / representatives, who should retain it till the conclusion of the meeting. The admission will, however, be subject to verification/ checks, as may be deemed necessary. Under no circumstances, any duplicate attendance slip-cum-entry pass will be issued at the entrance to the meeting hall.

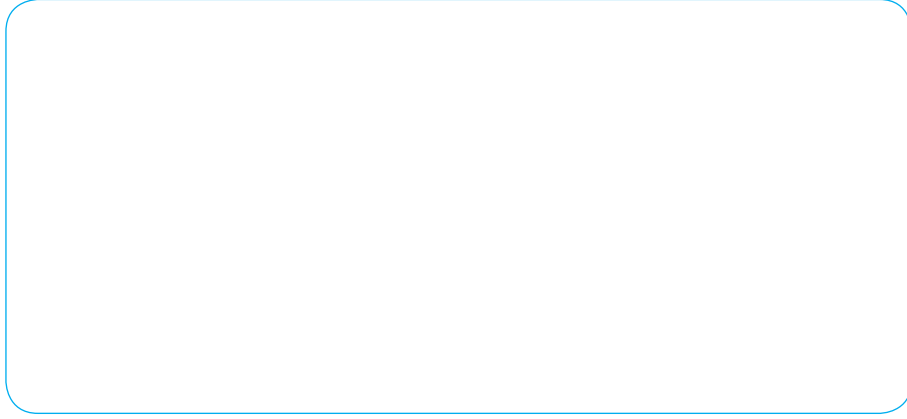
P.S. No gifts / gift coupons will be distributed at the meeting.

GUIDING MAP FOR THE MEETING VENUE



बुक-पोस्ट
Book-Post

डाक प्रमाण पत्र के अधीन
Under Certificate of Posting



सुपुर्द न होने पर कृपया लौटाएं :

मेसर्स शेयरप्रो सर्विसेस इंडिया प्रा. लि.
यूनिट : बैंक ऑफ़ इंडिया,
13 ए बी संहिता वेअरहाउसिंग कॉम्प्लेक्स
ऑफ़ अंधेरी कुर्ला रोड,
साकीनाका टेलीफोन एक्सचेंज लेन,
साकीनाका, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 072.

If undelivered, please return to :

M/s. Sharepro Services (India) Pvt. Ltd.
Unit : Bank of India,
13 AB Samhita Warehousing Complex,
Off. Andheri Kurla Road,
Sakinaka Telephone Exchange Lane,
Sakinaka, Andheri (East),
Mumbai 400 072.